यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग के माह 12/2017 से 02/2019 तक के लेखा-अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री श्रवण कुमार एवं श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीयों द्वारा दिनाँक 11.03.2019 से 26.03.2019 तक श्री ए.सी.कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.के. गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो. सलीम खान, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05.12.2017 से 08.12.2017 तक श्री आई.के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 06/2013 से 11/2017 तक के लेखा-अभिलेखों की जाँच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2017 से 02/2019 तक के लेखा-अभिलेखों की जाँच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु आवश्यक मूल-भूत सुविधाओं की व्यवस्था करना, चिकित्सालय में रोगियों को निःशुल्क उपचार करना, औषधि क्रय, निःशुल्क वितरण इत्यादि सुविधाऐं प्रदान करना है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण रुद्रप्रयाग जनपद है जिसके अन्तर्गत चिकित्सालय में आने वाले समस्त रोगियों का ईलाज किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु. लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2016-17	0.00	0.00	531.00	451.25	105.00	60.00	0.00	0.00		45.00
2017-18	0.00	0.00	529.89	529.57	60.00	60.00	0.00	0.00		0.00
2018-19 (02/2019)	0.00	0.00	548.80	482.59	60.00	50.00	0.00	0.00		10.00

नोटः बजट की अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु. लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**अर्जित ब्याज**	**व्यय**	**अंतिम शेष**
2016-17	NHM	23.29	46.21	1.45	58.65	12.30
2017-18		12.30	117.54	0.60	73.84	56.60
2018-19(02/2019)		56.60	51.27	1.34	31.25	77.96

(iii) इकाई को बजट आबंटन राज्य सरकार मद हेतु महानिदेशक स्तर तथा एन0एच0एम0 का बजट मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः-

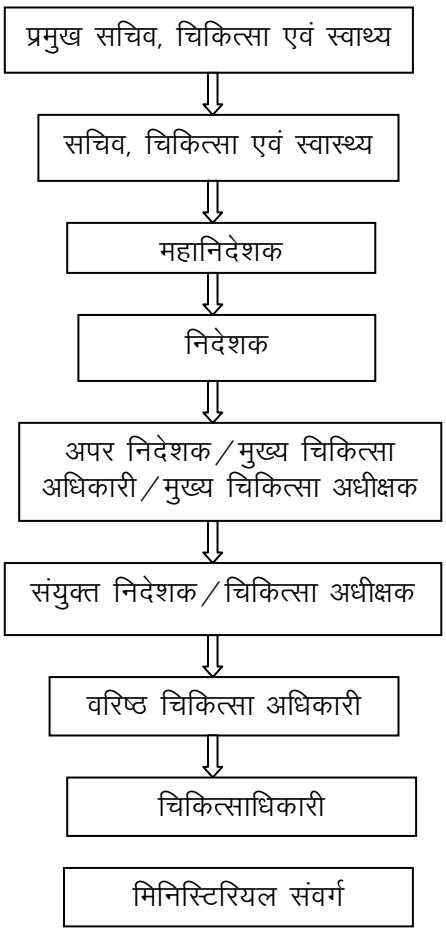

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2018 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग-2(ब)

प्रस्तर :1-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(NHM) के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को अनियमित रूप से चिकित्सा प्रबंधन समिति के खाते में स्थानान्तरित किया जाना।

जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं उत्तराखंड शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त योजनाओं के अंतर्गत चिकित्सालय में किसी भी प्रकार का यूजर चार्जेज नहीं लिया जायेगा।

जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग की NHM योजना से संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लाभार्थियों के निःशुल्क इलाज के कारण यूजर चार्जेज के रूप में अप्राप्त धनराशि (भर्ती शुल्क, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, आपरेशन, लैब जांच, औषधि इत्यादि नि:शुल्क किये जाने के कारण) की प्रतिपूर्ति NHM मद में उपलब्ध धनराशि से की जा रही थी (जितनी धनराशि नि: शुल्क इलाज के कारण अप्राप्त थी उतनी ही धनराशि NHM मद से चिकित्सालय के CPS खाते में स्थानांतरित की गयी थी)। विगत पाँच वर्षों में NHM मद से चिकित्सालय के CPS खाते में स्थानांतरित धनराशि का विवरण निम्नलिखित है।

Year	Amount transfer to CPS account form NH Account
2014-15	854423.00
2015-16	834226.00
2016-17	996561.00
2017-18	2238208.00
2018-19 (up to 02/2019)	720858.00
TOTAL	**5344276.00**

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि जिला चिकित्सालय में JSY/JSSK के अन्तर्गत मरीजों से यूजर चार्जेज प्राप्त नहीं किया जाता है जिसकी प्रतिपूर्ति के लिये NHM मद से धनराशि चिकित्सालय के चिकित्सा प्रबंधन समिति खाते में स्थानांतरित की जाती है।

इकाई का उत्तर स्वयं लेखपरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 613/XXVII-4-2011-41/2010 दिनांक 23.09.2011 द्वारा यह प्रावधानित किया गया था कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लागू होने से पूर्व जो भी अनुमन्य उपयोग शुल्क अस्पताल द्वारा लिए जाते थे उसकी प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा किया जायेगा परंतु यह व्यवस्था शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1155/XXVII-4-2011-41/2010 दिनांक 26.09.2012 द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2(ब)</u>

<u>प्रस्तर-2</u>: अर्जित ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा न किया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 03.09.2009 में यह प्रावधानित किया गया है कि शासकीय धन पर अर्जित ब्याज लेखाशीर्ष 0049 में जमा किया जाना चाहिये।

जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग की चिकित्सा प्रबन्धन समिति से संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि शासन से ग्रान्ट के रूप में प्राप्त धनराशि का रखरखाव/लेनदेन चिकित्सालय के चिकित्सा प्रबन्धन समिति के भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या-11561324185 के माध्यम से किया जा रहा था। उक्त खाते में शासन से ग्रान्ट के रूप में प्राप्त धनराशि के साथ-साथ यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त धनराशि का रखरखाव भी किया जा रहा था।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार उक्त खाते में माह 01/2018 से 12/2018 तक रु.4.10 लाख का ब्याज अर्जित किया गया था। शासन द्वारा ग्रांट के रूप में माह जनवरी 2018 में रु. 50.00 लाख एवं माह अक्टूबर 2018 में भी 50.00 लाख उपलब्ध कराया गया था जिसके सापेक्ष चिकित्सालय द्वारा अर्जित ब्याज निम्नवत पायी गयी ।

दिनांक	**अर्जित ब्याज की धनराशि**
25.03.18	118507.00
25.06.18	98292.00
25.09.18	82020.00
25.12.18	111466.00
योग	**410285.00**

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि शासन से ग्रान्ट के रूप में प्राप्त धनराशि एवं चिकित्सालय द्वारा यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त धनराशि का संचालन एक ही खाते के माध्यम से किया जाता है जिस कारण ग्रान्ट के रूप में प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज की वास्तविक गणना किया जाना सुनिश्चित नहीं हो पता है। भविष्य में शासन से ग्रान्ट के रूप में प्राप्त धनराशि का संचालन पृथक बैंक खाता के माध्यम से किया जायेगा एवं तद्नुसार अर्जित ब्याज को राजकोष मेँ जमा किया जायेगा।

इकाई का उत्तर लेखपरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर03-:- धनराशि रु0 4.06 लाख के औषधियों का अनियमित क्रय किया जाना ।

उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति विषय पर शासनादेश सं0 1284/XXVII-5/2008-24/2003 दिनाँक 28 अक्टूबर 2009 एवं 932/XXVIII-4-2014-28(8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के बिन्दु सं0 11 के अनुसार प्रत्येक फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए एवं औषधि के प्रत्येक लेबल, कार्टन व अन्य पैकिंग प्रदर्शन पर "UKG सप्लाई" , नॉट फार सेल" इंडेलिबल इंक से लिखा जाना अनिवार्य होगा। औषधियों की पैकिंग हेतु दिये गये स्पेसिफिकेसन ही मान्य होगा |

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग के औषधि भण्डार से सम्बन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18(12/17) से 2018-19(02/19) की अवधि में क्रय की गई औषधियां में से रैण्डम के तौर पर ली गई रु0 4.06 लाख की औषधियों का क्रय उनकी निर्माण की तिथि से काफी पुरानी अवधि की गई, जो यह प्रदर्शित करता है कि औषधि क्रय करने में उक्त शासनादेशों का पालन नहीं किया गया। निर्माण तिथि से जितनी अधिक पुरानी औषधियों का क्रय होगा, उसका उतने ही कम समय तक औषधालय मे उपयोग हो सकेगा । विवरण निम्नवत् हैः

YEAR 2017-2018					
SL.NO.	**NAME OF MEDICINE**	**Mfd**	**Exp. DATE**	**DATE OF PURCHASE**	**VALUE**
1	OINT DICLO GEL	Aug-17	Jul-19	11-06-2018	29000
2	POVIDONE IODINE SOLUTION	Jan-18	Dec-19	01-06-2018	10000
4	INJ. VITAMINE K	Apr-17	Mar-19	01-10-2018	4050
5	INJ. CALCIUM GLUCONATE	Aug-17	Mar-19	01-10-2018	750
6	INJ. HYOCINE BUTYLBROMIDE	Apr-17	Mar-19	01-10-2018	2700
7	INJ. PHENIRAMINE MALEATE	Mar-17	Jul-19	01-10-2018	675
8	INJ. NIKHTHAMIDE	Jul-17	Dec-18	01-10-2018	225
9	INJ. MAGSULPH	May-17	Apr-19	01-10-2018	112
10	TAB. DIGOXIN	Aug-17	Jul-19	01-10-2018	1030
11	TAB. SORBITRATE 5MG	Oct-17	Sep-19	01-10-2018	410
12	INJ. AMIODRON	Apr-17	Mar-19	01-10-2018	150
13	INJ. DIAZEPAM	Aug-17	Jul-19	01-10-2018	2400
14	INJ. DOPAMINE	Sep-17	Aug-19	01-10-2018	800
15	INJ. THEOPENTIN	Jun-17	May-19	01-10-2018	740
16	INJ. AMINOPHYLINE	Apr-17	Mar-19	01-10-2018	150
17	TAB. IBUPARA	Oct-17	Sep-19	03-03-2018	14000
18	SYP. CEFEXIME	Nov-17	Apr-19	01-06-2018	7250
19	CAP. DEPIN	Apr-17	Sep-18	02-05-2018	240
20	TAB. CIPROFOLIX 500MG	Nov-17	Oct-19	02-05-2018	22200
21	TAB. ALPRAZOLAM 0.25MG	Oct-17	Sep-19	02-05-2018	600
22	INJ. KETAMINE	Nov-17	Oct-19	03-08-2018	21280
24	TAB. MATHARGINE	Jul-17	Jun-20	03-10-2018	6800

25	TAB. ATROVASTEN 10MG	Nov-17	Oct-20	03-10-2018	4000
26	TAB. SODIUM VALPROATE 200MG	Aug-17	Jul-21	30/03/2018	2480
27	TAB. DICYCLOMINE	Mar-17	Feb-19	06/09/2017 to 03/03/2018	9170
28	TAB. FOLIC ACID	Nov-17	Oct-19	26/02/2018	3080
33	INJ. DEXAMETHASONE	Sep-17	Aug-19	21/03/2018	5000
34	INJ. PARACETAMOLE	Jul-17	Jun-20	21/03/2018	512
35	INJ. BUPICAIN	Nov-17	Oct-19	21/03/2018	3800
36	LIGNOCAINE GELLY	Feb-17	Jan-19	21/03/2018	1900
37	INJ. LIGNOCAINE 2%	Feb-17	Jan-19	21/03/2018	2480
39	TAB. ATENOLE 50MG	Dec-16	Nov-19	30/03/2018	3200
40	SYP. PARACETAMOLE	Jul-17	Jun-20	28/03/218	10250
				TOTAL	**1,71,434/-**

Year 2018-19

SL.NO.	NAME OF MEDICINE	Mfd	Exp. DATE	DATE OF PURCHASE	VALUE
1	TAB VERCLAV625MG	07/2018	12/19	05.03.2019	1,00,791.00
2	INJ OXYTOCIN	08/2018	07/2020	15.02.2019	18,676.00
3	AXACIP INJ	11/2017	10/2019	19.03.2018	6325.00
4	TAB NUMOL	10/2017	09/2019	13.02.2018	30,000.00
5	LIST ENCLOSED	10/16 to 04/17	12/18 to 12/20	18.03.2018	40,004.00
6	TAB. AMOXYCLAVE 625	07.2018	31.12.2019	16.02.2019	8999.00
7	INJ. AMIKACINE	12.2017	11.2019	22.05.2018	47600.00
8	CAP. IRON FOLIC ACID	06.2017	12.2019	03.05.2018	60000.00
9	INJ. METROGEL	07.2017	9.2020	31.05.2018	8500.00
10	TAB. RAMIPRIL 5MG	01.2017	JAN-20	25.05.2018	6000.00
11	INJ. TETNUS	09.2017	AUG-20	25.05.2018	4500.00
12	SUEMAG	09.2017	AUG-20	31.05.2018	3600.00
				Total:	**2,34,996.00**

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि औषधि की आकस्मिक आवश्यकता होने के कारण फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी दवा की निर्माण तिथि के संबंध में सज्ञान नहीं लिया जा सका । इकाई का उत्तर लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है | इस प्रकार इकाई द्वारा उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति विषय पर शासनादेश संख्या- 932/ XXVIII- 4- 2014- 28(8)/ 2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 (चिकित्सा अनुभाग- 4) के दिशा-निर्देश का उलंघन किया गया था।
अत: धनराशि रु 4.06 लाख के औषधियों के अनियमित क्रय किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
45/2013-14	**शून्य**	**1,2**	**1**
142/2017-18	**शून्य**	**1,2,3**	**1,2,3**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
45/2013-14	**भाग-II-'ब' प्रस्तर-1**	• वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः 8 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत दवाओं को गुणवत्ता जांच के लिए भेजा गया था। जो दवायें अधिक मात्र में क्रय की जाती है उनकी गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजा जाता है। गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट आने में अधिक समय लगता है तब तक के लिए वितरण रोक दिया जाता है। अधिकांशत: अधिक औषधियों कम मात्र में ही क्रय की गयी है जिस कारण कम मात्र मे क्रय की गयी औषधियों को गुणवत्ता परीक्षण हेतु भेजा जाना संभव नहीं था। • निर्माता कंपनियाँ जनपद से काफी दूर होने एवं जनपद में कोई भी औषधि निर्माता फर्म नहीं है जिस कारण आपूर्तिफ़ार्म/सप्लायर द्वारा निर्माण तिथि से 03 माह के अंदर औषधियों की आपूर्ति करना संभव नहीं है। • कभी-कभी महानिदेशालय से बजट समय से प्राप्त न होने के कारण क्रय की गयी औषधियों के बिल देयक लंबित रहते है, इस कारण बजट प्राप्त होने पर फर्म को	कार्यालय द्वारा औषधियों के क्रय में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया है। अतः प्रस्तर यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	

		एक ही बार में बिलों का भुगतान किया गया। • 03 वर्षों के लिए पंजीकृत फ़र्मों से ही औषधियां न्यूनतम दरों वाली फर्म से क्रय की गही है साथ ही अब चिकित्सालय में संबन्धित सर्जिकल सामग्री/लैब केमिकल्स एवं औषधि का क्रय ई-निविदा व भारत सरकार के उपक्रमों से ही किया जा रहा है।		
	भाग-।।-'ब' प्रस्तर-2	चिकित्सालय में रेडियोलोजिस्ट की तैनाती दिनांक 01.12.2016 से हो जाने के कारण Whole Body Ultrasound and Color Doppler मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। Auto Clave (Horizontal) मशीन को निदेशालय के निर्देश से प. दिनदयाल उपाध्याय, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, देहरादून में स्थापित किए जाने हेतु मै. यार्को सैल्स, दिल्ली को दिनांक 14.09.2014 को हस्तगत कर दी गयी है।	चिकित्सालय द्वारा Whole Body Ultrasound and Color Doppler मशीन का प्रयोग किया जा रहा है एवं Auto Clave (Horizontal) मशीन को निदेशालय के निर्देश से प. दिनदयाल उपाध्याय, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, देहरादून में स्थापित किए जाने हेतु मै. यार्को सैल्स, दिल्ली को दिनांक 14.09.2014 को हस्तगत कर दी गयी है। अतः प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	प्रस्तर निरस्त किया जाता है।
142/2017-18	**भाग-।। 'ब' प्रस्तर-3**	1.यूनाइटेड इंडिया इन्शोरेंस कंपनी लि. चैन्नई फेस-1 को दिनांक 01.06.2015 से 30.06.2016 तक 242 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत किए गए थे जिनमे से 194 दावे निस्तारित कर दिये गए थे। 21 दावों को संबन्धित कंपनी द्वारा वांछित दस्तावेज़ पूर्ण न होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। लाभार्थियों के दस्तावेज़ पूर्ण करने के बाद अप्रैल 2016 में कंपनी को ई-मेल द्वारा सूचना प्रेषित की गयी लेकिन कंपनी द्वारा सूचना का संज्ञान नहीं लिया गया जिस कारण 21 दावों का निस्तारण नहीं हो सका।	मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के दावों को प्राप्त करने में चिकित्सालय असफल रहा। अतः प्रस्तर यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	

		2. बजाज एलाइन्स इन्शोरेंस कंपनी लि. पूना फेस-II को दिनांक 01.08.2016 से नवंबर 2017 तक 91 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत किए गए थे जिनमे से 46 दावे निस्तारित कर दिये गए थे। 16 दावों को संबन्धित कंपनी द्वारा वांछित दस्तावेज़ पूर्ण न होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। लाभार्थियों के दस्तावेज़ पूर्ण करने के बाद अगस्त 2016 में कंपनी को ई-मेल द्वारा सूचना प्रेषित की गयी लेकिन कंपनी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया गया।		
	स्टैन प्रस्तर-1	अक्रियाशील एवं अनुपयोगी उपकरणों की नीलामी हेतु महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड देहरादून से अनुमति ली जानी है। अनुमति हेतु कार्यवाही गतिमान है।	उत्तर के आलोक में प्रस्तर यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	स्टैन प्रस्तर-2	संबन्धित प्रकरण में महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड देहरादून के द्वारा निर्देश दिये गए है कि सेवारत फार्मासिस्ट संवर्ग के कार्मिकों के वेतन निर्धारण की वसूली को अग्रिम आदेशो तक (शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त होने तक) रोक दिया जाय। दिनांक 31 दिसंबर 2017 को सेवानिवृत्त चीफ फार्मासिस्ट श्री भुवनेश्वर प्रसाद जमालोकी से रु. 128711.00 की वसूली कर उनका पेंशन प्रकरण नियमानुसार निस्तारित कर दिया गया है।	संबन्धित प्रकरण में वसूली की कार्यवाही लंबित होने के कारण प्रस्तर यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-- शून्य --

भाग-V

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः-

(i)
(ii) } -- शून्य --

2- सतत् अनियमितताऐं:

(i)
(ii) } -- शून्य --

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्र0 सं0	**नम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा0 डी0सी0 सेमवाल	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	01.08.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप-महालेखाकर, (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकर भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र